

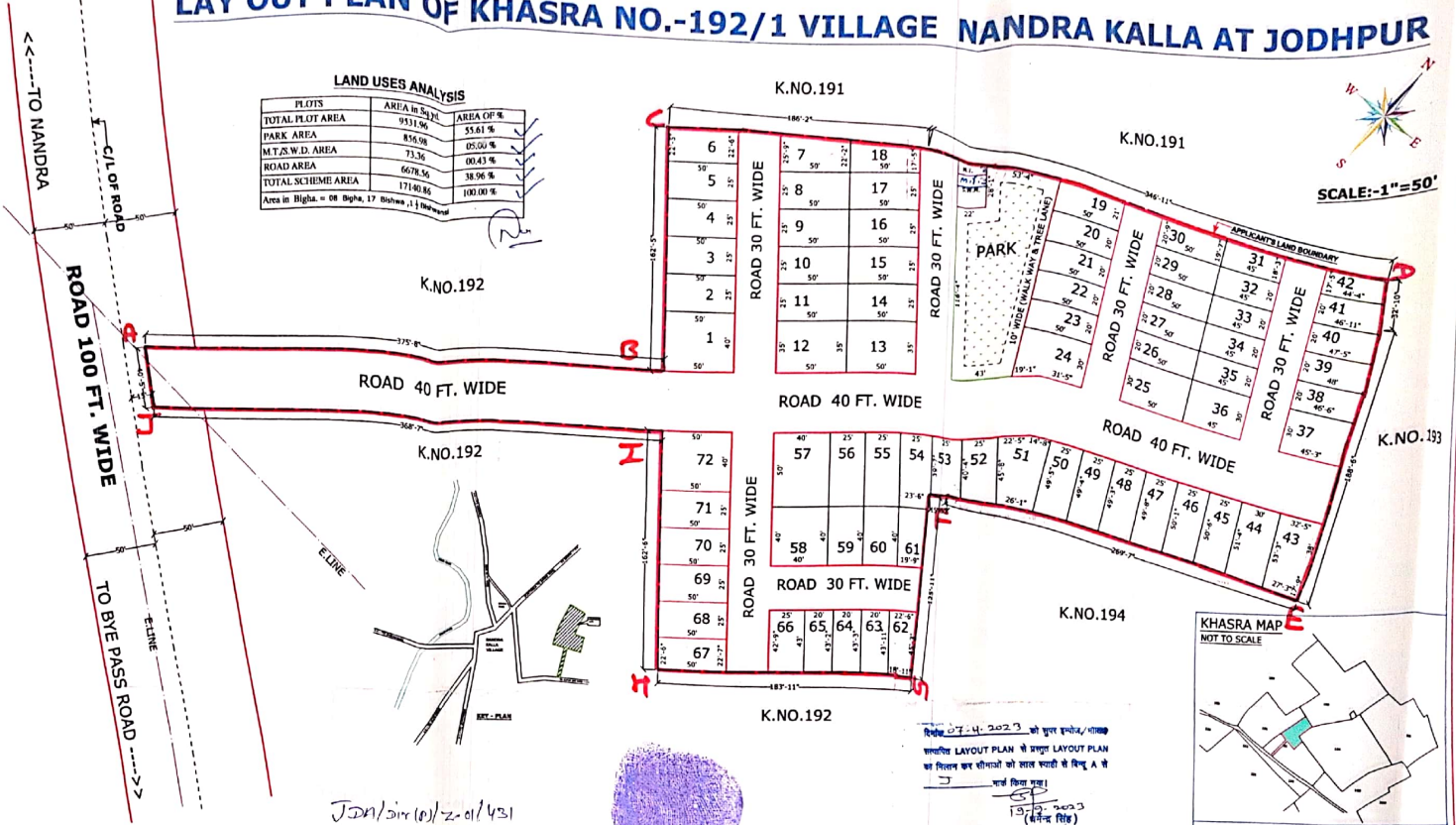
"V K - VIHAR"

LAY OUT PLAN OF KHASRA NO.-192/1 VILLAGE NANDRA KALLA AT JODHPUR

LAND USES ANALYSIS

PLOTS	AREA IN Sq.M	AREA OF %
TOTAL PLOT AREA	9531.96	55.61 %
PARK AREA	856.98	05.00 %
M.T.S.W.D. AREA	73.36	00.43 %
ROAD AREA	6678.56	38.96 %
TOTAL SCHEME AREA	17140.86	100.00 %

Area in Hight = 08 Dight, 17 Dight, 11 Dight



एप्लेण्ड संख्या 07 :-

सैंडक दिनांक	जो.	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	एकबा	प्रयोजन
05.09.2023	जोन-1	नान्दडा कला	192/1	15.15.00 बीघा में से 08.17.03 बीघा	आवासीय योजना

आवेदक श्री कान्हाय प्रभु श्री गुरुद्वारा

विषय- राजस्व ग्राम नान्दडा कला के खसरा संख्या 192/1 एकबा 15.15.00 बीघा में से 08.17.03 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन वास्तव।

निर्णय- समिति द्वारा एप्लेण्ड व भूवाकली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया-

- आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई पूर्व कंठित एवम् जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर रखी जाये। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि पट्टी की भूमि में से निम्नलिखित आवसित रखी जाये।
- टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्राक्कानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जाये।
- टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्राक्कानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जाये।
- योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निर्देशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा।
- नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता को उपरान्त रहन युक्त किया जायेगा।
- मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्राक्कानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जाये।
- उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाधि, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद ही प्रस्तावित भूमि में से निम्नलिखित आवसित रखी जाये।
- प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
- राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार भौवादी टॉवर एवं कोरा कचरा संग्रहण स्थल का प्राक्कान किया जाये।

साहायक नगर निरीक्षक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उप नगर निरीक्षक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

ज्योत्सव (जोन-1)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

SIL PRITHVI RAJ
LICENCE No. JDA/TECH/2021/07
Plot No. 66, Laxmi Vihar
Kudi Bhagtasani, Jodhpur
(M) 9414134639, 9950780333